Order Sheet

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

न्यायालयः- न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगंज, जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी- श्री लोकेन्द्र चौधरी

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्याः- 54/2026 (CNR No.RJBR130001682026)

सरकार बनाम हरिवल्लभ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1 नियमित फौजदारी प्रकरण संख्याः- 54/2026 (CNR No.RJBR130001682026) सरकार बनाम हरिवल्लभ	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.03.2026	**सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। पुलिस थाना किशनगंज** की ओर से **अभियुक्त हरिवल्लभ पुत्र बिरधीलाल, उम्र 52 वर्ष, निवासी- कामठा, थाना किशनगंज, जिला बारां (राज.)** के विरूद्ध **धारा 185, 207, 3/181, 39/192, 146/196 एम.वी. एक्ट** के अपराध बाबत इस्तगासा प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त ने वाहन के असल आरसी, बीमा, इत्यादि कागजात पेश किये, जिससे परिवाद पर उपलब्ध मैटेरियल के आधार पर **अभियुक्त हरिवल्लभ** के विरूद्ध **अपराध धारा 185, 3/181, 39/192, 146/196 एम.वी. एक्ट** का मामला प्रथमदृष्टया बनना पाया जाता है। अतः उक्त **अभियुक्त हरिवल्लभ** के विरूद्ध **अपराध अंतर्गत धारा 185, 3/181, 39/192, 146/196 एम.वी. एक्ट** में प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित फौजदारी हो। **अभियुक्त मय अधिवक्ता श्री गिरिराज प्रसाद नागर उपस्थित।** अधिवक्ता अभियुक्त ने वकालतनामा पेश किया। परिवाद की नकल अधिवक्ता अभियुक्त को दिलाई गई। आरोप सारांश पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद गौर **अभियुक्त हरिवल्लभ** द्वारा **धारा 185, 3/181, 39/192, 146/196 एम.वी. एक्ट** का अपराध कारित किया जाना प्रथमदृष्टया प्रकट होता है। अतः उक्त अपराध की विशिष्टियाँ अभियुक्त को मौखिक रूप से सुनाई व समझाई गई तो सुन-समझकर स्वीकार किया। अभियुक्त ने लोक अदालत की भावना से जरिये जुर्म स्वीकारोक्ति के प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहा और इस बाबत जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर सुना गया। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया जुर्म स्वीकार करना प्रकट होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध मेटेरियल एवं अभियुक्त द्वारा की गई जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर **अभियुक्त हरिवल्लभ** को **धारा 185, 3/181, 39/192, 146/196 एम.वी. एक्ट** के अपराध के आरोप में **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है। सजा के बिन्दू पर उभय पक्षों को सुना गया तो अभियुक्त ने पूर्व दोषसिद्ध नहीं होने बाबत शपथ पत्र पेश किया। अभियुक्त नवयुवक है और उसका यह प्रथम अपराध है। प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को **परिवीक्षा की अधिनियम की धारा 3** के तहत सम्यक रूप से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2 नियमित फौजदारी प्रकरण संख्याः- 54/2026 (CNR No.RJBR130001682026) सरकार बनाम हरिवल्लभ	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रताड़ना देकर छोड़ा जाता है। साथ ही **अभियुक्त पर 600/- रुपये अभियोजन व्यय** भी अधिरोपित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा **अभियोजन व्यय की राशि 600/- रूपये मात्र जरिये ई-चालान जी.आर.एन. संख्या 119720125 दिनाँक 10.03.2026** को ऑनलाइन जमा करवाकर रसीद न्यायालय में पेश की गई, जिस पर संबंधित लिपिक द्वारा जांच कर उक्त चालान के संबंध में सफलतापूर्वक डिफेस हो जाने का मेसेज प्राप्त हो जाना अंकित किया है, जिससे यह प्रकट है कि उक्त चालान में अंकित राशि सही है एवं इसका पूर्व में किसी भी अन्य प्रकरण में उपयोग नहीं हुआ है। रसीद शामिल पत्रावली रहे। अभियोजन व्यय को नियमानुसार संबंधित रजिस्टरों में इंद्राज किया जावे। समस्त कागजात शामिल पत्रावली रहे। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद आवश्यक तकमील दाखिल दफ्तर हो। **(लोकेन्द्र चौधरी)** **न्यायिक मजिस्ट्रेट,** **किशनगंज, जिला बारां (राज.)**	